


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०,

लिक कोर्ट रीवा म०प्र०



R - 1605 - 11/13

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय जहांगीराबाद
मोपाल द्वारा जिला विपणन अधिकारी विपणन कार्यालय सीधी, जिला सीधी
म०प्र०, निगरानीकर्ता

बनाम

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. राम करण साहू | } | पिस० स्व० रामनाथ साहू |
| 2. रामशरण साहू | | |
| 3. जयमनिया पत्नी रामनाथ साहू | | |
| 4. छोटकी पुत्री रामनाथ साहू | | |
| 5. मतरनिया पुत्री राम नाथ साहू | | |
| 6. सुमारू साहू | } | पिस० स्व० नारायण साहू |
| 7. राजमणि साहू | | |
| 8. लक्ष्मण साहू | | |
| 9. शंखलाल साहू | | |
| 10. सुखलाल साहू | | |
| 11. रंगलाल साहू | | पिस० खेलावन साहू |

सभी निवासी ग्राम कचनी, तहसील सिंगरौली, जिला—सिंगरौली म०प्र०

.....उत्तरवादीगण

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध, आदेश
दिनांक दिनांक 26.04.07 जो न्यायालयअपर
आयुक्त रीवा संभाग रीवा म०प्र० में प्रकरण

SH KUP
Singh ADV
for
M/25/10
21/12/13
16/11/2013

16/11/13

M


ef

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1605-तीन/13

जिला -सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री अंजनी सोनी अधिवक्ता उप0। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	